ऋषिपाल की मौतः

दलित–विरोधी हरियाणा में दोस्ती की कीमत

पीपल्स यूनियन फॉर डैमोक्रैटिक राइट्स (पीयूडीआर) दिल्ली
और
पीपल्स यूनियन फॉर सिविल राइट्स (पीयूसीआर) हरियाणा

अप्रैल 2016

24 दिसम्बर 2015 को तड़के सुबह भाणा गाँव, थाना पुंद्री, ज़िला कैथल, हरियाणा के एक 22 वर्षीय दलित (चमार) ऋषिपाल ने फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अखबारों की शरूआती खबरों के अनुसार, इस आत्महत्या का सम्बन्ध, पुंद्री चौकी की पुलिस द्वारा, गाँव के 22 साल के एक अन्य दलित (चमार) युवक बिंदर द्वारा पुंद्री की एकता नाम की एक पिछड़ी जाति (खाति) की लड़की के कथित अपहरण के बारे में, ऋषिपाल को पूछताछ के लिए बुलाये जाने से था। एकता के परिवार वालों ने उसके अपहरण के बारे में एक एफ.आई.आर. दर्ज़ करवाई थी। जिसमें ऋषिपाल को सह–अपराधी के तौर पर नामज़द किया गया था।

पीपल्स यूनियन फॉर डैमोक्रैटिक राइट्स (पीयूडीआर), दिल्ली और पीपल्स यूनियन फॉर सिविल राइट्स (पीयूसीआर), हरियाणा का 5 सदस्यीय संयुक्त दल ऋषिपाल द्वारा ऐसा गंभीर कदम उठाए जाने के कारणों और पुलिस की भूमिका की जाँच के लिए वहाँ गया। 30 दिसम्बर 2015 को जाँच दल ने ऋषिपाल के परिवार वालों व भाणा गाँव के अन्य लोगों से मुलाकात की। दल ने पुंद्री के एक अन्य दलित (वाल्मीकि) युवक तरसेम से भी मुलाकात की। इस कथित अपहरण के मामले में ऋषिपाल के साथ साथ तरसेम से भी पूछताछ की गई थी। इनके अलावा टीम ने कैथल के डी. एस.पी. सतीश गौतम व इस केस के जाँच अधिकारी (आई.ओ.) शमशेर सिंह से भी मुलाकात की। टीम को बिंदर व एकता से मिलने का मौका मिला, जो शादी करके 24 दिसम्बर 2015 को (जिस दिन ऋषिपाल की मौत हुई) कैथल लौट आये थे।

घटनाक्रम

ऋषिपाल के परिवार, गाँव वालों, तरसेम, बिंदर और एकता से की गई बातचीत और सरकारी दस्तावेज़ों से इकट्ठा की गई जानकारी के अनुसार घटनाक्रम कुछ इस तरह से है।

23 दिसम्बर 2015 को शाम साढ़े पाँच बजे एकता के पिता ने पुंद्री पुलिस थाना, ज़िला कैथल में एक प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) दर्ज़ करायी, जिसमें यह आरोप लगाया कि उनकी 17 वर्षीय पुत्री एकता का भाणा निवासी बिंदर ने 22 दिसम्बर को अपहरण कर लिया था। इस एफ.आई.आर. में तरसेम को एक सह–अपराधी के रूप में नामज़द किया गया था, क्योंकि बिंदर को तरसेम की बाइक चलाते देखा गया था। एफ.आई.आर. में ऋषिपाल को भी घटना में शामिल बताया गया था। यह एफ. आई.आर. भारतीय दण्ड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 363 (नाबालिग का अपहरण) और 366 (किसी लड़की मर्ज़ी के खिलाफ शादी के लिए मजबूर करना) के तहत दर्ज़ की गई थी।

ऋषिपाल के परिवार के सदस्यों और भाणा के अन्य लोगों के अनुसार कथित अपहरण के सम्बन्ध में पूछताछ के लिए ऋषिपाल को 23 दिसम्बर की सुबह करीब 10 बजे पुलिस चौकी बुलाय गया था। इस बात की पुष्टि तरसेम द्वारा भी की गई। ऋषिपाल के पिता बलवंत सिंह के अनुसार 23 दिसम्बर की शाम 7 बजे ऋषिपाल ने उनके छोटे पुत्र राम मेहर को फ़ोन करके बताया कि पुलिस ने उसे चौकी में रोक लिया है, वे तुरंत पुलिस चौकी आ जाएं। वहाँ पहुँच कर उन्होंने देखा कि ऋषिपाल चौकी में बैठा रो रहा है। ऋषिपाल के पिता व साथ गए अन्य लोगों के अनुसार पुलिस ने ऋषिपाल का नाम केस से हटाने के लिए कथित तौर पर 15,000 रुपयों की मांग की।

ऋषिपाल के पिता और उनके संबंधी थाने से लौट आये, लेकिन रात में उन्हें फ़ोन आया कि ऋषिपाल को वापस ले जाएं। उन्होंने हमें बताया कि 23 दिसम्बर की देर शाम को ऋषिपाल को

केवल इस शर्त पर छोड़ा गया कि वह अगले दिन अपने केस को खत्म कराने के लिए 15,000 रुपयों के साथ पेश होगा।

परिवार के सदस्यों और अन्य ग्रामीणों के अनुसार ऋषिपाल के साथ सख्ती से व्यवहार किया गया और पुंद्री पुलिस चौकी में रोक कर रखे जाने के दौरान पुलिस द्वारा उसे यातनाएं दी गईं थीं। परिवार ने ऋषिपाल के शरीर की तसवीरें दिखाईं, जिनमें ज़ख्मों के निशान साफ दिखते हैं। उन्होंने कहा कि ऋषिपाल ने उन्हें अपनी जाँघें और नितंब दिखाए थे, जिन पर पिटाई की गई थी। उनके चाचा ओम प्रकाश के अनुसार जब ऋषिपाल चौकी से बाहर आया था तब वह लंगड़ा रहा था। परिवार वालों ने बताया कि घर लौटने के बाद भी ऋषिपाल काफ़ी डरा हुआ था और यह भी कि उन्होंने अपनी एफ.आई.आर. में भी यह दर्ज़ करवाया है। उसे इस बात का डर था कि अगली सुबह जब वह चौकी पर जाएगा, तो उसके साथ क्या होगा। उसने कथित तौर पर परिवार वालों को यह भी बताया था कि पुलिस ने उसके गुप्तांगों पर चोट करने की धमकी दी थी।

24 दिसम्बर को करीब 5 बजे सुबह ऋषिपाल ने अपने दो कमरे के घर के एक कमरे की छत से लटककर आत्महत्या कर ली। ऋषिपाल के पिता ने उसी दिन सुबह भारतीय दण्ड संहिता की ध ारा 306 (आत्महत्या के लिए मजबूर करने) और द एससी एंड एसटी (प्रिवेंशन ऑफ़ ऐट्रौसिटी) ऐक्ट की धारा 3 (दलितों के खिलाफ अत्याचार) के तहत पुलिस के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज़ करवाई। इसके बाद उन्होंने खासकर एस.आई. महावीर सिंह को नामज़द करते हुए एक शिकायत भी दर्ज़ कराई। ऋषिपाल के पिता द्वारा दर्ज़ करायी गई एफ.आई.आर. में पुलिस पर यह आरोप लगाया गया है कि पुलिस द्वारा ऋषिपाल को पीटने, धमकाने और अपमानित करने के परिणामस्वरूप उसकी मौत हुई है।

परिवार के अनुसार, पुलिस ने 22 दिसम्बर की शाम को भी ऋषिपाल को बुलाकर उससे पूछताछ की थी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने शायद ऋषिपाल को पूछताछ के लिए इसलिए बुलाया था क्योंकि वह बिंदर का चचेरा भाई था। दोनों राजमिस्त्री का काम करते थे, व प्रायः एक साथ काम लेते थे और भाणा में पड़ोस के रहते थे।

एफ.आई.आर. में नामज़द अन्य युवक तरसेम ने ऋषिपाल के परिवार द्वारा कही गई ज़्यादातर बातों की पुष्टि की। तरसेम ने भी कहा कि पुंद्री पुलिस चौकी के आदेश पर ऋषिपाल 22 व 23 दिसम्बर दोनों दिन पूछताछ के लिए चौकी पर मौजूद था। तरसेम मूलतः मेवली गाँव का निवासी है पर वह पुंद्री में रहता है और ड्राईवर का काम करता है। उसने हमें बताया कि उसे और ऋषिपाल को एकता और बिंदर के सहपलायन के संबंध में पुंद्री पुलिस द्वारा पहले 22 दिसम्बर की शाम को बुलाया गया था। इसके बाद उन्हें फिर 23 दिसम्बर को फिर बुलाया गया था। तरसेम ने कहा कि वह साढ़े नौ बजे सुबह चौकी पर पहुँच गया था और ऋषिपाल बाद में आया था।

तरसेम ने हमें बताया था कि उससे पूछताछ इसलिए की गई क्योंकि उसने 22 दिसम्बर को अपनी बाइक बिंदर को दी थी। उसके मुताबिक ऋषिपाल को इस मामले में इसलिए घसीटा गया क्योंकि एकता के परिवार वालों ने उसे और ऋषिपाल को एक साथ देखा था। जब हमने डी.एस.पी. से मुलाकात की तो उन्होंने भी यही कारण बताया।

हमें तरसेम से पता चला कि 23 दिसम्बर को ऋषिपाल चौकी पर अत्यंत परेशान और उत्तेजित था। ऐसा लगता है कि उसने तरसेम के सामने यह सलाह भी रखी थी कि दोनों को तुरंत गाँव से भाग जाना चाहिए। उसने कथित तौर पर यह भी कहा कि उसकी ज़िंदगी समाप्त हो गई। तरसेम ने

हमें बताया कि जब ऋषिपाल के पिता चौकी पर आये थे तो उन्होंने ऋषिपाल को सबके सामने परिवार को बदनामी में डालने के लिए फटकारा था। तरसेम के अनुसार, इसके बाद ऋषिपाल और अधिक उत्तेजित और फिर बेहद उदास हो गया था।

तरसेम के मुताबिक 23 दिसम्बर को साढ़े आठ बजे रात में, जब उसके परिवार वाले उसे लेने आए तो वह चौकी से चला गया था। ऋषिपाल तब भी वहीं था। उसने कहा कि उसे नहीं मालूम कि ऋषिपाल कब और किसके साथ वहाँ से गया। तरसेम को फिर 24 दिसम्बर की सुबह पुलिस को रिपोर्ट करने को कहा गया था, जो कि उसने किया। तभी उसे ऋषिपाल की मौत की जानकारी मिली।

जब हमने बिंदर और एकता से मुलाकात की तो हमें इस पूरे घटना–क्रम की पृष्ठभूमि के बारे में पता चला। बिंदर के मुताबिक उसे एकता ने 18 दिसम्बर को फोन कर के बताया था कि उसके माता–पिता ने उसे बुरी तरह पीटा, क्योंकि वे उन दोनों के संबंध के खिलाफ़ थे। इस घटना के बाद दोनों ने भाग जाने का निर्णय लिया। चूंकी उन्होंने जल्दबाज़ी में घर छोड़ा था इसलिए उनके पास कुछ ही रुपए थे। उन्हें खाने, ठहरने और वकील की फीस चुकाने के लिए रुपयों की ज़रूरत थी, इसलिए बिंदर 22 दिसम्बर को पुंद्री में ऋषिपाल से मिला। ऋषिपाल ने उसे किसी तरह 2,000 रुपए दिए। बिंदर ने बताया कि उसने कैथल जाने के लिए तरसेम की बाइक उधार ली। दोनों ने एक मंदिर में शादी की और चंडीगढ़ की अदालत में अपनी शादी का पंजीकरण कराया। जब वे 24 दिसम्बर को कैथल लौटे तो एकता के सम्बंधी उन दोनों की खोज में बस स्टॉप पर मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने पुलिस सुरक्षा की मांग की। हमने उनसे पुलिस लाइन्स के अन्दर स्थित 'सेफ हाउस' में मुलाकात की, जहाँ पुलिस ने उन्हें रखा था। बिंदर और एकता ने बताया कि उन्हें ऋषिपाल की मौत की जानकारी पुलिस से मिली, और वे अपने दोस्त की मौत के सदमे से उबर नहीं पाए हैं।

इस सारी कहानी में बहुत से अनुत्तरित सवाल हैं। जैसे एकता के परिवार ने 23 दिसम्बर की शाम को ही एफ.आई.आर. दर्ज़ क्यों करवाई जबकि वह शायद पहले से गायब थी? एफ.आई.आर. चाहे जब भी दर्ज़ हुई हो, प्रेमी जोड़े की जगह उनके दोस्तों को ही इसके परिणाम भुगतने पड़े।

सरकारी कार्रवाई और कहानी

एससी–एसटी ऐक्ट के तहत पुलिस के खिलाफ केस दर्ज़ होने के करण डी.एस.पी. कैथल द्वारा जाँच–पड़ताल की गई थी। पुंद्री थाने के महावीर सिंह, जो एकता के पिता द्वारा दर्ज़ की गई प्रारम्भिक एफ.आई.आर. के जाँच अधिकारी थे, को निलंबित कर दिया गया। यह निलंबन ऋषिपाल के परिवार द्वारा एक एफ.आई.आर. दर्ज़ कराने के बाद दर्ज़ की गई शिकायत के सिलसिले में किया गया। केस के मौजूदा जाँच अधिकारी, पुंद्री थाने के श्री शमशेर सिंह इस जाँच में डी.एस.पी. का सहयोग कर रहे थे।

डी.एस.पी. श्री सतीश गौतम ने कहा कि 23 दिसम्बर को एकता के पिता द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज़ करवाने के बाद ऋषिपाल को केवल नियमित पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उसे न तो उठाया गया था और न ही हिरासत में रोका गया था। उसके साथ कोई ज़ोर ज़बर्दस्ती नहीं की गई थी, क्योंकि वह जाँच में सहयोग कर रहा था। पुलिस ने इस बात से इनकार किया कि तरसेम और ऋषिपाल से 22 दिसम्बर को भी पूछताछ की गई थी। डी.एस.पी. ने कहा कि लोगों का पता–ठिकाना जानने के लिए, वे उनके फ़ोन रिकॉर्ड की छानबीन कर रहे थे। तथ्यों की पुष्टि के लिए जब हमने बाद में उन्हें फोन किया तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया।

जैसा कि ऊपर बताया गया है डी.एस.पी. ने इनकार किया कि ऋषिपाल को पीटा गया था। सबूत के तौर पर उन्होंने पोस्ट–मोर्टेम रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें केवल ऋषिपाल की गर्दन पर बांधे जाने से लगी चोट के निशान दर्ज़ हैं। उन्होंने यह भी बताया कि तरसेम ने अपनी गवाही में कहा है कि पुलिस ने उसके और ऋषिपाल के साथ किसी तरह की ज़्यादती या मार–पीट नहीं की थी। उन्होंने पैसे एंठने के आरोप को यह कहकर खारिज़ कर दिया कि ऋषिपाल के परिवार की वित्तीय हालत को देखते हुए कोई पुलिस वाला उससे घूस मांगने की मूर्खता नहीं करेगा। डी.एस.पी. ने जाँच अधिकारी और एक अन्य पुलिस अधिकारी जो कि शायद शुरूआत से मामले के साथ जुड़े थे, से राय–मशविरा कर के 23 दिसम्बर को पुंद्री पुलिस चौकी पर जो कुछ हुआ उसके बारे में हमें बताया और उनके अनुसार वही ऋषिपाल की आत्महत्या का प्रमुख कारण है। उन्होंने बताया कि ऋषिपाल के पिता ने उस दिन पुलिस चौकी पर अपनी पगड़ी उतार दी और सबसे सामने ऋषिपाल को परिवार को शर्मिन्दा करने के लिए ज़िम्मेदार ठहराया। डी.एस.पी. ने समझाया कि ऋषिपाल एक संवेदनशील नौजवान था, इसलिए अपने पिता के शब्दों और बर्ताव से शर्मिंदा और अपमानित हुआ और उसने खुद को गुनहगार महसूस किया। डी.एस.पी. ने यह भी बताया कि हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में किसी लड़की के भागने के केस में हाथ होने के संदेह में थाने ले जाने की घटना को काफी कलंकपूर्ण माना जाता है। उन्होंने कहा कि कई ग्रामवासी अपने को इस बात पर गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उनकी प्रतिष्ठा बेदाग है। ऐसी परिस्थितयों में ऋषिपाल को महसूस हुआ होगा कि उसने अपने परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल कर दी थी। इस शर्म और अपराध बोध को वह बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपनी जान ले ली।

जाँच परिणाम

1. अपराध जो कभी नहीं हुआ

ऋषिपाल के दुखांत की पहली विडम्बना यह है कि तथाकथित 'अपराध', जिसमें ऋषिपाल को मुलज़िम बनाया गया और जिसकी पुलिस तथाकथित जाँच–पड़ताल कर रही थी, कभी हुआ ही नहीं था। एकता अपनी खुद की मर्ज़ी से बिंदर के साथ गई थी और उससे शादी की थी। वह नाबालिग नहीं थी बल्कि अक्टूबर 2015 में 18 साल की हो चुकी थी। एकता के परिवार द्वारा धारा 363 और 366 के तहत दर्ज़ की गई एफ.आई.आर. स्पष्टतः झूठी थी। सामाजिक विरोध के माहौल में उन दोनों के संबंध को समझते हुए ऋषिपाल केवल अपने दोस्तों की मदद कर रहा था। इसके लिए उसने अपनी जान गवां दी।

2. पुलिस का अपराध

अपनी जाँच के आधार पर हम पुलिस को ऋषिपाल की मौत का दोषी पाते हैं। पुलिस द्वारा की गई और नहीं की गई कार्यवाहियाँ उन्हें जातिगत अपराध और आत्महत्या के लिए मजबूर करने का दोषी बनाती हैं।

2.1. जाँच–पड़ताल में लापरवाही – पुलिस ने ऋषिपाल को पूछताछ के लिए बुलाने से पहले एकता के पिता द्वारा दर्ज़ शिकायत से सम्बंधित तथ्यों की जाँच पड़ताल करने की चिंता नहीं

की। पुलिस ने न तो एकता और बिंदर के सम्बन्ध की जाँच की और न ही उनकी उम्र के बारे में पता किया। अगर वे ऋषिपाल को आनन–फानन में बुलाने के बजाय ऐसा करते, तो उसकी मौत को टाला जा सकता था। पुलिस की लापरवाही और ज़्यादा बड़ी हो जाती है जबकि लड़कियों के भागने के मामलों के अपने अनुभवों के बारे में उन्होंने हमें खुद बताया कि लड़कियों के माता–पिता द्वारा उनके भागने की झूठी शिकायत दर्ज़ करवाना रोज़ की बात हो गई है। ऐसी स्थिति में मामले की सत्यता की जाँच करने से पहले किसी को भी पूछताछ के लिए पकड़ कर रखना क्या सही कार्यविधि है?

2.2. पूछताछ के अस्तित्वहीन आधार – पुलिस ने ऋषिपाल को पूछताछ के लिए क्यों बुलाया? उसके परिवार एवं अन्य लोग कहते हैं कि बिंदर से सम्बन्ध के चलते उसे बुलाया गया। तरसेम और डी.एस.पी. दोनों ने कहा कि लड़की के परिवार वालों ने उसे तरसेम के साथ देखा था, इसलिए उसे केस में नामज़द किया। ऋषिपाल से लगातार पूछताछ करने के दोनों कारण पूरी तरह अपर्याप्त हैं।

2.3 गैरकानूनी हिरासत – इसके अलावा ऋषिपाल और तरसेम को 22 दिसम्बर की शाम और 23 दिसम्बर की सुबह और दोपहर बाद, बिना तर्कसंगत आधार के हिरासत में रखना और पूछताछ करना पूरी तरह गैरकानूनी था। यह इसलिए भी अवैध था क्योंकि ऐसा 23 दिसम्बर को साढ़े पाँच बजे शाम एफ.आई.आर. दर्ज़ होने के पहले किया गया था। ऋषिपाल को कम से कम 23 दिसम्बर की सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक थाने में रखा गया था। और परिवार व तरसेम के बयानों अनुसार तो इस बात की पूरी संभावना लगती है कि 22 दिसम्बर को भी 2 घंटे थाने में रखा गया था।

2.4 परेशान किया जाना – पुलिस द्वारा ऋषिपाल को चौकी पर बार बार बुलाकर परेशान किया गया – 22 दिसम्बर को, फिर 23 दिसम्बर को और तीसरी बार 24 दिसम्बर को। तरसेम ने स्वतंत्र रूप से इसकी पुष्टि की है।

2.5 शारीरिक यातना – पुलिस ने ऋषिपाल को पीटने से इनकार किया है और इसके पक्ष में 'चश्मदीद' तरसेम की गवाही पेश की है। लेकिन यह ध्यान दिया जाना चहिये कि रात के करीब 10 बजे ऋषिपाल के परिवार के आने से कम से कम डेढ़ घंटे पहले ही तरसेम पुंद्री पुलिस चौकी से जा चुका था। क्या इस समय में पुलिस ने ऋषिपाल को पीटा और धमकाया, ताकि उसके खिलाफ केस बंद करने के लिए 15,000 रुपए एंठने के लिए उसके परिवार पर दबाव बनाया जाए? उसके परिवार के वक्तव्य और शरीर के फोटो ऐसा ही संकेत देते हैं।

2.6 मानसिक यातना – परिवार वालों, तरसेम और यहाँ तक कि डी.एस.पी. के कथनों के अनुसार यह स्पष्ट है कि ऋषिपाल को मानसिक यातना दी गई थी। सभी सहमत हैं कि वह अत्यधिक उत्तेजित, परेशान, भयभीत और विषादग्रस्त था। जबकि परिवार वाले उसकी आत्महत्या के लिए पुलिस के भय और संभावित यातना को ज़िम्मेदार मानते है, पुलिस उसके पिता के भावोत्तेजक शब्दों को। परन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि यह दोनों ही पुलिस द्वारा उसकी अवैध हिरासत, अवांछनीय पूछताछ और अवमानना से जुड़े हैं।

3. एक पक्षपातपूर्ण जाँच–पड़ताल

इसके अतिरिक्त हमारा मानना है कि कैथल पुलिस द्वारा की जा रही ऋषिपाल की मौत की जाँच पक्षपातपूर्ण है। हमने पाया कि पुलिस और डी.एस.पी. अभियुक्त पुलिस कर्मियों के हितों की रक्षा करने में लगे हैं। हमने जब तरसेम का पता पूछा तो पुलिस ने गलत पता बताकर मेवली गाँव की ओर भेज दिया। तरसेम मेवली का है लेकिन वह पुंद्री में रहता और काम करता है। बिंदर ने हमें उसका सही ठिकाना बताया जहाँ हमारी उससे मुलाकात हुई। साथ ही, डी.एस.पी. ने रुपया एंठने संबंधी शिकायत को यह कहकर खारिज़ कर दिया कि ऋषिपाल का परिवार इतना गरीब है कि कोई भी ऐसी माँग करने की मूर्खता नहीं करेगा। उन्होंने हमें पोस्ट–मोर्टेम रिपोर्ट या पोस्ट–मोर्टेम जाँच का वीडियो दिखाने से इनकार कर दिया। उन्होंने हमसे सेल–फ़ोनों के रेकॉर्डों की जाँच रपट सांझा करने का वादा किया, लेकिन बाद में ऐसा करने से इनकार कर दिया।

एससी–एसटी ऐक्ट के तहत केस दर्ज़ किए जाने और दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा जाँच के चलते, पुलिस के लिए उनकी 'रोज़मर्रा' की गलत गतिविधियों ने गंभीर रूप ले लिया है। हमारा मानना है कि इसके चलते पुलिस की अपने को बचाने की मुहीम और ज़ोर पकड़ेगी।

निष्कर्ष

बिंदर ने हमें बताया कि ऋषिपाल उससे 22 दिसम्बर को मिला था, क्योंकि बिंदर और एकता को शादी के लिए रुपयों की ज़रूरत थी। इस तरह ऋषिपाल ने अपने दोस्त की मदद करने के एवज में अपनी जान गवाँ दी। एक जातिवादी समाज में, जहाँ अंतर्जातीय शादियाँ स्वीकार नहीं की जाती हैं, यहाँ तक की अगर किसी पर इसके लिए मदद करने या उकसाने का संदेह होता है, तो यह पुलिस कार्रवाई को आमंत्रित करने के लिए काफ़ी होता है।

ऋषिपाल के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन करते हुए उसे बार–बार पूछताछ के लिए बुलाकर पुलिस ने अपने प्राधिकार का अतिक्रमण किया है। ऋषिपाल एक भूमिहीन दलित मज़दूर (राजमिस्त्री) था। सामजिक एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर ऋषिपाल के सामने पुलिस की आज्ञा मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। पुलिस के अत्याचार और उत्पीड़न, पुलिस की मांग को पूरा करने के दबाव और अपने एवं अपने परिवार के दुःख और बेइज्ज़ती को न सह पाने से टूट कर उसने 24 दिसम्बर की सुबह आत्महत्या कर ली।

हमारी समझ है कि ऋषिपाल की शर्मिन्दगी और अपराध बोध की डी.एस.पी. की 'सामाजिक' व्याख्या, पुलिस की आपराधिक संलिप्तता को ही उजागर करती है। यह जानने के बावजूद कि पुलिस द्वारा बुलाया जाना और हिरासत में रखा जाना किसी के लिए कलंक एवं अपमान की बात होती है, ऋषिपाल को अकारण थाने पर बुलाया गया और हिरासत में रखा गया। इस प्रकार पुलिस ने ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कीं जिनके चलते ऋषिपाल को अपनी जान लेनी पड़ी। बिंदर और एकता की अंतर्जातीय शादी कोई बहुत बड़ा मामला नहीं था। दोनों में से किसी परिवार की ऐसी हैसियत और पहुँच नहीं थी कि वे इस जोड़े को हिंसा या किसी अन्य तरीके से अलग कर पाते। तब भी हिंसा हुई और एक नौजवान की मौत हुई। यह सच है कि इस मौत का तात्कालिक कारण आत्म–प्रवृत्त यानी फाँसी लगाकर की गई आत्महत्या था। लेकिन ऋषिपाल ने अपनी जान क्यों ली? उसने ऐसा क्या महसूस किया? एक 'नियमित' पूछताछ के दौरान थाने में उसके साथ क्या हुआ? इस केस की

अतिविलक्षणता दर्शाती है कि हमें इसकी जाँच और बारीकी से करने की ज़रूरत है। ऋषिपाल की मौत समकालीन हरियाणा में दलित एवं गरीब होने की अशक्तता का एक प्रतीक है। यह जातिवादी एवं भ्रष्ट पुलिस बल द्वारा पैदा किये गए भय का प्रमाण है। यह पुलिस बल उस समाज के पूर्वाग्रहों को मानता है और उसके अनुसार काम करता है, जिसका वह एक अंग है। हम मानते हैं कि पुलिस और एकता का परिवार ऋषिपाल की मौत के लिए ज़िम्मेदार हैं। यह निहायत ज़रूरी है कि दोषियों को आरोपित किया जाए। डी.एस.पी. की यह व्याख्या – 'पुलिस लोगों को मारना नहीं चाहती, कभी–कभी ऐसा हो जाता है', अंतिम बात के रूप में कतई स्वीकार नहीं की जा सकती है।

ऋषिपाल की मौत को हलके से लेकर केवल एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बता कर नहीं छोड़ा जा सकता। ऋषिपाल और उसके परिवार को न्याय दिलाने के हित में पीयूडीआर और पीयूसीआर मांग करते हैं कि –

1. इस मामले में एक स्वतंत्र न्यायिक जाँच का आदेश दिया जाये।
2. दोषी पुलिसकर्मियों पर मुकदमा चलाया जाए।
3. ऋषिपाल के परिवार को मुआवज़ा दिया जाए।

अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का फैसला

इस रिपोर्ट के अनुवाद के दौरान हमें पता चला कि अनुसूचित जाति जन जाति राष्ट्रीय आयोग ने ऋषिपाल के पिता बलवंत द्वारा दर्ज़ की गई शिकायत पर अपना फैसला सुना दिया है। 3 फरवरी 2016 को आयोग द्वारा कैथल के अतिरिक्त उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और बलवंत सिंह को जारी किये गए पत्र के अनुसार अतिरिक्त उपायुक्त, कैथल ने आयोग की अनुशंसा पर मृतक के परिवार को 5,67,500 रुपए का मुआवज़ा दे दिया है। आयोग ने यह कहकर मामले को बंद कर दिया है कि पीड़ित को मुआवज़ा मिल चुका है और अतिरिक्त उपायुक्त, कैथल ने 'कार्रवाई रिपोर्ट' दर्ज़ भी कर दी है। आयोग के पत्राअनुसार मामला 'सफल' तरीके से बंद कर दिया गया है।

प्रकाशक – सचिव, पीपल्स यूनियन फॉर डैमोक्रैटिक राइट्स (पीयूडीआर), दिल्ली

कॉपी यहाँ प्राप्त करें – डॉ. मौशुमी बासु, ए – 61, अदिति अपार्टममेंट्स, पॉकेट डी, जनकपुरी, नई दिल्ली

ईमेल – pudr@pudr.org, pudrdelhi@gmail.com

वेबसाइट – www.pudr.org

सहयोग राशि – 5 रुपए